प्रगति

वर्ष-6, अंक-10

जून - 2024

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली

महाप्रबंधक संदेश

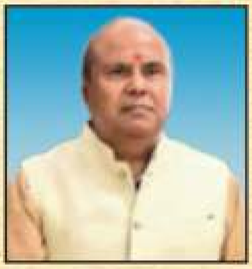

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पत्रिका 'प्रगति' के जून -2024 अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग-प्रसार करना और इसे समृद्ध बनाना हम सबका नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति क्षमता एक-दूसरे के पूरक होती है। इस उद्देश्य से राजभाषा नीति के अनुसार अपने सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी का प्रयोग कर इसका बहुआयामी विकास आवश्यक है। इस प्रयोजन से राजभाषा की विभागीय पत्रिका सार्थक भूमिका निभा रही है। राजभाषा विभाग विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं का सफल आयोन भी कर रहा है। हमें गर्व है कि आरेडिका के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने कविता, कहानी, बोधकथा, संस्मरण, यात्रा-वृतांत, नायक आदि से पत्रिका को रोचक, ज्ञानवर्धक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मैं 'प्रगति' के नए अंक की सफलता की कामना करता हूँ।

(प्रशांत कुमार मिश्रा)
महाप्रबंधक

मुख्य राजभाषा अधिकारी की कलम से...

राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सामान्यतः सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। यही भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन साधारण की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

रुपेश श्रीवास्तव
मुख्य राजभाषा अधिकारी

उप मुख्य राजभाषा अधिकारी की कलम से...

भारत की ज़्यादातर आबादी हिन्दी लिख और पढ़ सकती है। लगभग पूरी आबादी हिन्दी समझ सकती है। हिन्दी के जरिए किए गए काम जनता को अच्छी तरह समझ में आते हैं। कम पढ़े-लिखे लोग भी हिन्दी में पारित आदेश को अच्छी तरह समझ जाते हैं। इसलिए हम सभी को सभी कार्य अधिक-से-अधिक हिंदी में करना चाहिए।

डॉ. सत्यव्रत
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी

राजभाषा अधिकारी की कलम से...

इस पत्रिका में प्रकाशित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी रचनाओं के लिए राजभाषा विभाग से बधाई देता हूँ एवं आगे भी इसी तरह के सहयोग के लिए आग्रह करता हूँ। आपके सहयोग से ही पत्रिका रोचक, ज्ञानवर्धक बन सकती है। पत्रिका के अगले अंक के लिए अपनी रचना एवं इस पत्रिका को बेहतर बनाने हेतु अपने सुझाव ईमेल द्वारा **rajbhashaadhikarimcf@gmail.com** पर आमंत्रित है।

राजेश कुमार
राजभाषा अधिकारी

राजभाषा क्रियान्वयन समिति, आधुनिक रेल डिब्बा कारख़ाना, रायबरेली

अध्यक्ष :	**महाप्रबंधक महोदय**
मुख्य राजभाषा अधिकारी :	**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी :	**उप मुख्य वित्त सलाहकार/सामान्य (नामित सदस्य)**
राजभाषा अधिकारी :	**सहायक सामग्री प्रबन्धक/ मुख्यालय (नामित सदस्य)**
सदस्य :	**प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता** **प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी** **प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक** **प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी** **प्रधान मुख्य अभियंता** **प्रधान वित्त सलाहकार** **प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता** **प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त** **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी** **मुख्य परियोजना प्रबन्धक**

संरक्षक
प्रशांत कुमार मिश्रा
महाप्रबंधक

मुख्य संपादक
रूपेश श्रीवास्तव
मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रधान संपादक
डॉ. सत्यव्रत
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
उप विसमुलेधि/सामान्य

संपादक
राजेश कुमार
राजभाषा अधिकारी एवं
सहा. सामग्री प्रबंधक

संपादन सहयोग
मोहम्मद अकरम
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

जितेन्द्र कुमार
आशुलिपिक

सौरभ कुमार
वरि. लिपिक

अनुक्रम

क्रम सं.	रचना	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश	राजभाषा विभाग	4
2	लता दी	भारती	9
3	अग्निशमन	रमेश चन्द्र	12
4	अरज बेटी की	सितेश कुमार शर्मा	17
5	साइबर धोखाधड़ी का जादू	शुभम वासनिक	19
6	आवासीय परिसर -एक चिड़ियाघर	विनोद कुमार मौर्य	21
7	रक्षाबंधन	देवेन्द्र कुमार अवस्थी	24
8	अज्ञेयवाद	सौरभ सचान	25
9	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अरविंद कुमार	27
10	हवेली बोलती	भारती	31
11	आरेडिका का प्रशांति परिसर	अशोक कुमार	32
12	मेरी माँ	भावना	34
13	सुमिरन	अशोक कुमार गुप्ता	36
14	स्वास्थ्य- शक्ति का आभूषण	शाबरा बेगम	38
15	डिजिटल गिरफ्तारी	चंदा सिंह	40
16	अंतर्रात्मा की आवाज और ध्यान	महेश प्रसाद शर्मा	43
17	शहादत	मो0 प्रवेज	45
18	अनुवाद और उसके विविध प्रकार	मोहम्मद अकरम	47
19	भोला मन	भारती	50

संपर्कः राजभाषा विभाग
आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली
ई-मेलःrajbhashaadhikarimcf@gmail.com

नोटः पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत **संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं समक्ष रखी जाने वाली और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं।** राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार **केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।**

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार **केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।**

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार **केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।** केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले **रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।** केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए **सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी और मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।**

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में **राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।**

8. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के **प्रश्न- पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।**

9.केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में **अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए।** प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

10. सभी प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

11. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि **हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें**।

12. **'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से हो**। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

13. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

14. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

15. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

16. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

17.केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न **प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।**

18. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

19. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में **कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो।** केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई- वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें।

20. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप से अद्यतित करवाएं।

21. राजभाषा विभाग द्वारा मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **"राजभाषा गौरव पुरस्कार"** दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022- 23 से संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगेः-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को **65%** 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को **55%** 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को **55%** 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **55%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	**100%**	**100%**	**100%**
3.	हिंदी में टिप्पण	**75%**	**50%**	**30%**
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	**70%**	**60%**	**30%**
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	**80%**	**70%**	**40%**
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	**65%**	**55%**	**30%**
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	**100%**	**100%**	**100%**
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	**100%**	**100%**	**100%**
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	**50%**	**50%**	**50%**
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	**100%**	**100%**	**100%**

11. वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	**100%**	**100%**	**100%**
13. (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियें द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	**40%**	**30%**	**20%**
		(न्यूनतम अनुभाग)	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।	

भारती
अध्यक्षा MCFWWO

लता दी...

मनुष्य का जीवन घटना क्रम के आधार पर आधारित होता है, घटना, अलग-अलग कहानियों को जन्म देती है, कहानी जीवन के अंत तक चलती है, नयी कहानी जन्म देने के लिए, नव जीवन की तलाश में, पुनः कहानी शुरू होती है।

लता दीदी के जीवन में भी कहानी, घटनाक्रम के आधार पर, चलती रही, आज जब धुंधली यादों के पन्नों में दबी, लता दीदी की छवि, उनके जीवन का एक हिस्सा, बीस से चालीस साल उम्र वाली, लता दी को ही थोड़ा बहुत, धुंधली यादों में, समा पायी। सीधा पल्लू साड़ी बांधे, लंबे और घने बालों को समेटकर, कसकर एक जुड़ा बांधे, मजबूत कद काठी, गोरे ललाट पर लाल टीका, जो उनके सुहागन होने की गवाही थी। हाथों में गमछा हमेशा होता, शायद काम करते रहने से, भींगते हाथों को पोंछने का काम करता होगा।

लता दी दुनिया में नहीं, लेकिन कथा, एहसास के रुप में, आज भी जीवित हैं।

एक ही गांव था हम दोनों का... लता दीदी का घर, हमारे पड़ोस में था। उनकी छोटी बहन और मैं, बचपन की सहेली थी, दस, ग्यारह साल उम्र होगी हमारी, साथ में खूब घूमना, खेलना होता हमारा। गांव आने का मतलब सर्वत्र आनंद ही आनंद होता, हमारे लिए। इसी क्रम में, लता दी के घर जाने का बार-बार अवसर लगता। दी मुझे देख कर बहुत खुश होती, शायद ये खुशी, मुड़ा-तुड़ा एक खिला पान, जो अपने घर से छुपाकर लता दीदी के लिए लेकर

जाती, उन्हें मीठा पान बहुत पसंद था, तुरंत पान हमारे हाथ से लेकर, अपनी साड़ी के आंचल में, गाठ बांध कर रख लेती, मीठी मुस्कान से खुशी जाहिर करती।

अपने घर में पांच बहन, दो भाई, सबसे बड़ी लता दी थी। निश्चल, निर्विकार, सरल हृदय लता दी, दुनियादारी से बिल्कुल परे, अलग ही थी। बड़ा गांव है हमारा, अलग-अलग टोला में बंटा। हमारे गांव में लड़कियों के लिए, ससुराल और नैहर,एक ही गांव में होना आम बात है। ओझा टोला लता दीदी का मायका, मिश्र टोला ससुराल, शादी, लता दी का निभा नहीं, उनके पति, शायद दुनियादारी में नहीं ढलने के कारण, यों कहिये, मंद बुद्धि घोषित कर, लता दी को मायके भेज दिया। दूसरा विवाह करते, जरा भी देर नहीं लगाया। इसके बावजूद शादीशुदा पति के पास भेजने का कितने बार जबरदस्ती प्रयास किया गया, इस दरम्यान लता दी, कई बार ससुराल भी गयी। सुनने में ये भी आया था, लता दी के पति की दूसरी पत्नी, सौतन, लता दी को, अपने साथ रखना चाहती थीं, लेकिन लता दी के ही पांव, ससुराल में नहीं टिकते, भाग कर चली आती, ये कौतूहल का विषय बन जाता। किन्तु मूल बात पर कोई विचार नहीं होता, क्यों चली आती, लता दी, पति के घर से, कोई भी स्वाभिमानी औरत के लिए, ये सबकुछ कितना मुश्किल होगा।

घर के लोगों के साथ, समाज, टोले मे रहने वाले लोगों के कायदे कानून, लता दी के लिए अलग कैसे हो सकता था, सोचती हूं आज, तो मन भर जाता है। ससुराल आने जाने का सिलसिला, लता दी के जीवन में कई वर्षों तक चलता रहा। मां, पिता के घर में रहना, उनके लिए कम बड़ी चुनौती नहीं थी। अपने लिए, न प्रेम था, न ही दया, आदर तो दूर की बात, घर में मां-बाप, भाई, बहन, परिवार, सब होने के बावजूद, लता दी बिल्कुल अकेली थीं।

उनकी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं, जैसे लता दी, इंसान नहीं, मशीन मानव हो, डोर से नचाने और नाचने वाली एक कठपुतली।

अपने घर में असमानता का व्यवहार, अपमान का घूट पी कर, चेहरे पर लेशमात्र शिकन नहीं, संतुष्ट भाव दिखना, कितना मुश्किल रहा होगा, आज बीते यादों के पन्नों को पलटती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता! लगता है ईश्वर से उन्हें, आंतरिक शक्ति,भरपूर मिला होगा।

काम करते कभी थकते नहीं देखे, रुक-रुक कर बोलने की आदत थी, थोड़ा हकलाने की वजह, बातचीत बहुत कम करतीं, अपने लिए घर के विपरीत माहौल, मन से आत्मसात कर ली थी, किन्तु ये तो सच है! निश्चल बुद्धि की सजा, उन्हें भरपूर मिल रही थी, और यही निश्चलता, निष्कपटता, लता दी को, उफ़ तक करने नहीं दे रहा था।

गोरी-चिट्टी पतले लाल ओठ, जो यदा-कदा पान चबाने से और लाल हो जाता। सदैव ओठों पर मंद मुस्कान का भाव, अपने ही घर में, उपेक्षित जीवन जीने वाली लता दी के लिए, क्या ये सच नहीं, जन्म से और न ही कर्म से, लता दी को, किसी ने, अपना नहीं माना, किसी की सगी नहीं हो सकी। बार-बार मन में ये प्रश्न आता, क्या सच में, प्रेम पाने की हकदार नहीं लता दी? कमी क्या थी, यही की, बच्चों जैसी सरल स्वभाव की थीं, लोगों की कटुता, ऊंच-नीच, भेद-भाव समझ नहीं पाती, किन्तु उनकी भावना को तो ठेस लगता होगा, आंखों से आंसू तो बहते होंगे, या फिर ये भाव भी अंदर छुपा लेती होंगी, ये सब दिखा नहीं मुझे कभी, शायद, उस वक्त, ये सब कुछ, समझने की उम्र नहीं रही होगी हमारी।

दुनियादारी तो लता दी भी, कहाँ समझ पायी। मंदबुद्धि का खिताब देकर, घरवाले, ससुराल वाले, टोला, समाज, दी को, अवांछित प्राणी घोषित करने में, अपने तरफ से कहीं, कोई कसर नहीं छोड़ा।

रमेश चन्द्र
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे0सु0बल/आरेडिका
मो. 7318060900

अग्निशमन

आग/अग्नि(Fire) एक रासायनिक प्रक्रिया है, जो किसी वस्तु को जलाने का काम करती है। यह तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। यह तीन चीजें हैं -ईधन, आक्सीजन, वांछित स्तर का तापमान। आग की प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब वांछित तापमान उपलब्ध होने पर कोई ईंधन वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है, और जिसके कारण तुरंत गर्मी, रोशनी और धुंआ उत्पन्न होने लगता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि **ऑक्सीजन,** वांछित तापमान और ईंधन, यह तीनों जब भी आपस में मिलते हैं, तो इनसे आग का जन्म होता है।

ईंधन के रूप में कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे सूखी लकड़ी, तेल, खेत में तैयार फसल, सूखी घास, लकड़ी या घांस-फूस से बने घर इत्यादि।

आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं-

- भूखा मारना(Starvation)– इस तरीके में हम ईंधन को आग से अलग कर देते हैं, और तब ईंधन के अभाव में आग बुझ जाती है।

- दम घोटना(Smothering) – इसमें हम आग से ऑक्सीजन का संपर्क काट देते हैं, यानि खत्म कर देते हैं, जिससे आक्सीजन के अभाव में आग बुझ जाती है। उदाहरण

के लिए जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग पकड़ लेती है, तो हम तुरंत उस व्यक्ति को कंबल इत्यादि से ढक देते हैं, जिससे आक्सीजन से संपर्क कट जाता है, और आग बुझ जाती है।

- ❖ ठंडा करना(Cooling) – इस तरीके में हम आग पर पानी इत्यादि डालकर उसका तापमान कम कर देते हैं। इससे आग थोड़ी देर में वांछित तापमान के अभाव में अपना दम तोड़ देती है, यानि कि बुझ जाती है।

आग कितने प्रकार की होती हैं-

आग को सामान्यतः हम 6 प्रकारों में बाटते हैं।

क्लास A आग

- ➢ दहनशील ठोस पदार्थों में लगने वाली आग जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़े, रबड़ आदि वस्तुओं में लगने वाली आग क्लास A श्रेणी में आती है।

क्लास B आग

- ➢ ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट व अन्य ज्वलनशील तेलों में लगने वाली आग क्लास B श्रेणी में आती है।

क्लास C आग

- ➢ ज्वलनशील गैसों जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, मीथेन आदि में लगने वाली आग, क्लास C में आती हैं।

क्लास D आग

- ➢ दहनशील धातुओं (Metals) का इस्तेमाल जहाँ होता है, वहाँ उन धातुओं जैसे कि मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सोडियम और पोटैशियम इत्यादि में लगने वाली आग क्लास D श्रेणी में आती है।

क्लास E (Electrical) आग

- ➢ जो आग बिजली के कारण और बिजली के उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर या बिजली के पैनल्स इत्यादि में लगती है, वह आग क्लास E श्रेणी में आती है।

  लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम बिजली की सप्लाई संबंधित उपकरणों से काट देते हैं, तो उन उपकरणों में लगी आग का प्रकार A, B, C आदि जलने वाले पदार्थ के हिसाब से हो जाएगा और तब फिर हम इस पर उसी प्रकार का अग्निशामक यंत्र(Fire Extinguisher) भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्लास F अथवा K (Kitchen) आग

- ➢ रसोई के समान या बड़े-बड़े रसोईघरों में लगने वाली आग क्लास F अथवा K श्रेणी में आती है, जैसे कि खाना बनाने वाले उपकरण, तलने वाले बर्तन आदि।

अग्निशामक यंत्र(Fire Extinguisher) के प्रकार

अग्निशामक यंत्र समान्यतः 06 प्रकार के होते हैं।

अग्निशामक यंत्र	आग का प्रकार
1. पानी से भरे अग्निशामक	क्लास –A
2. झाग वाले अग्निशामक	क्लास –B
3. सूखा पाउडर अग्निशामक	क्लास-C
4. हेलॉन अग्निशामक यंत्र	क्लास-D
5. CO_2 अग्निशामक	क्लास-B and electrical fires
6. वेट केमिकल अग्निशामक	क्लास- F अथवा K

1. पानी से भरे अग्निशामक (Water filled fire extinguisher) - इनमें उच्च दाब पर पानी भरा होता है। इसे चलाने पर तेज बौछार के साथ पानी छूटता है। यह वॉटर अग्निशामक चार प्रकार के होते हैं-

- **वॉटर जेट अग्निशामक(Water Jet Fire Extinguisher) इसको WJE भी कहते हैं। इसके द्वारा आग या जलते हुए पदार्थ पर पानी का JET SPRAY करके आग को बुझाया जाता है। बिजली के चालू उपकरणों की आग पर इसका उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए।**
- **वॉटर स्प्रे अग्निशामक (Water Spray Fire Extinguisher) इसे WSE भी कहते हैं। ये नॉर्मल दबाव पर पानी की बूंदों का जलने वाली वस्तु पर SPRAY करता है, जिसकी सभी बूंदें हवा से घिरी होती हैं, और NON-CONDUCTIVE होती हैं। इस प्रकार यह वाटर स्प्रे की प्रक्रिया अग्निश्मन का कारण बनती हैं।**
- **वॉटर अग्निशामक Additive अग्नि के साथ (Water Extinguisher with Additive Fire) इस प्रकार के वॉटर अग्निशामक में फोम और केमिकल मिले हुए होते हैं। इसे हम WEA भी कहते हैं।**
- **वॉटर फॉग अग्निशामक (Water MIST or Fog Extinguisher) इस अग्निशामक में पानी को धुंध या कोहरे के रूप में आग पे डाला जाता है। अब बात आती है हम वॉटर**

अग्निशामक को कैसे पहचानेंगे तो Water Extinguisher का लेबल लाल रंग का होता है, जिससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं।

2. झाग वाले अग्निशामक (Foam Extinguishers) - ये संग्रहित दाब या गैस कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं। इसे चलाने पर ये झाग फेकते हैं।

इसे हम FE भी कहते हैं। **झाग वाले अग्निशामक** का इस्तेमाल CLASS A और B की आग बुझाने में करते हैं। जैसे कि लकड़ी, कागज, पेट्रोल, डीजल जैसे ज्वलनशील तरल की आग बुझाने में Foam Extinguisher का इस्तेमाल करना चाहिए। **झाग वाले अग्निशामक** का लेबल क्रीम रंग का होता है।

3. शुष्क पाउडर अग्निशामक (Powder Fire Extinguisher)

इसे PE भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बहु प्रयोजन (multipurpose) अग्निशामक है, क्योंकि इसका उपयोग हम A, B और C तीनों के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग हम Electrical Fire में भी कर सकते हैं। हालांकि पदार्थ ठंडा नहीं होता तो फिर से आग भड़कने के संभावना रहती है, इसीलिए इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए ये आपके देखने की क्षमता भी कम कर सकते हैं, साथ ही आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसी कारण जब तक इसका कोई दूसरा विकल्प ना हो तब तक बिल्डिंग के अंदर नहीं करना चाहिए। इसका लेबल नीला होता है।

4. CO_2 अग्निशामक (CO_2 Fire Extinguisher) बहुत सारे बिजली के उपकरणों वाले स्थान जैसे ऑफिस या सर्वर रूम के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि ये बिजली के उपकरणों वाली आग के लिए सबसे सुरक्षित होते हैं। ये किसी भी तरह का कोई अवशेष या जैसे कि पाउडर या तरल आदि नही छोड़ते। इनका उपयोग B श्रेणी की आग पे भी किया जा सकता है, जिनमें ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल और डीजल आते हैं। CO_2 अग्निशामक हवा में ऑक्सीजन की कमी करके आग बुझाने का काम करता है। CO_2 अग्निशामक का लेबल काले रंग का होता है।

5. हेलॉन अग्निशामक यंत्र (Halon extinguishers) -इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड (CTC) अथवा ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन (BCF) भरा होता है। ये गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं। इस अग्निशामक यंत्र में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थ वाष्पीकरण करने वाले तरल पदार्थ (हैलोन्स) हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप 2003 के अंत से विमान और सेना में इस्तेमाल जैसे कुछ अपवादों के साथ, यह अवैध घोषित किये जा चुके हैं।

6. वेट केमिकल अग्निशामक (Wet Chemical Fire Extinguisher) - इन्हें हम WCE भी कहते हैं। ये अग्निशामक, श्रेणी F की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अर्थात खाना बनाने

वाले तेल, मक्खन और खाना बनाने वाले बड़े-बड़े होटलों की रसोई और उनकी खाना बनाने वाली मशीनों आदि की आग के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त रहते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। Wet Chemical तेजी से आग की लपटों को फैलने से रोकता है, और जलते हुए तेल या अन्य पदार्थ को ठंडा करता है। ये एक साबुन जैसा घोल बना कर आग को रोकते हैं। इनको A और B श्रेणी की आग को बुझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका लेबल पीले रंग का होता है।

अग्निशामक का इस्तेमाल करने के लिए तरीका - पी.ए.एस.एस. (P.A.S.S.)

1. P माने खींचना (pull) - सबसे पहले अग्निशामक की सील को तोड़कर सेफ्टी पिन को खींचे।
2. A माने निशाना (aim) - अब आग लगे स्थान के नीचे की ओर निशाना साधें।
3. S माने दबाना (squeeze) - अब अग्निशामक के लीवर को धीरे-धीरे दबायें।
4. S माने इधर-उधर घुमाना (sweep) - अब आग पर पाइप को तब तक इधर- उधर घुमायें, जब तक कि आग बुझ नहीं जाती है।

सितेश कुमार शर्मा
तकनीशियन-I
व्हील शॉप
मो. 8969110624

अरज बेटी की

अरज करती हुई,
चुप रह जाती हैं बेटी...
उच्छ्वास लेकर हँस लेती हैं बेटी।
बासी कलेऊ खाकर जी लेती हैं बेटी॥

नई मयूखवै के इंतजार में रो लेती हैं बेटी।
अरज करती हुई बेटी॥
चुप रह जाती हैं बेटी... ।

समाज के तउ सैन पर चला करती हैं।
व्यथा-रैन के साथ सोया करती हैं॥
एक ओर देवल में होती इसकी पूजा।
दूजी ओर अटारी पर लटका दी जाती हैं॥

कालिंदी-कूल में इसे डुबो दिया जाता।
झंझा की तरह इसका जीवन॥
आज भी जीती आ रही हैं।
व्यथा-रैन में बड़ी हो जाती॥

विवाह इसका कर दिया जाता।
पति के साथ विदा किया जाता॥
पढ़ने-लिखने के लिए इसको रोक दिया जाता।
तिहकी अत्याचार को रोक दो॥

समाज में इसको खुशी के साथ जीने दो,
दहेज से इसकी तुलना मत करो,
अरज की भाषा समझ लो।
अरज करती हुई,
चुप रह जाती हैं आप की बेटी क्यों....?

शुभम वासनिक
सहायक कार्य
अभियांत्रिकी
मो. 7024770135

साइबर धोखाधड़ी का जादू

एक दिन की बात है, नेट पर था ये शोर,
लोग कह रहे थे, "ए फ्रॉड, शोर न कर !"
देखा मैंने एक लिंक, बोला "फ्री का माल है ये !",
पर खोला जब मैंने, पता चला, धोखा ही धोखा है ये !

फ़िशिंग का जाल बिछा, सारे लोग फँसे थे,
बैंक विवरण चुरा ली, सब के ख्वाब झांसे थे।
कैसे-कैसे मैसेज, आते थे भारी-भारी,
"ख़ुशकिस्मत विजेता!" लिखा हुआ,
पर अंदर होता, वो कहानी भारी !

क्रिप्टोकरेंसी के चक्कर में, सब घूम रहे थे लाल,
बिटकॉइन लेकर सोना, सबको बना दिया था बहाल।
पर क्या पता था उनको, वो सब सिर्फ है बवाल,
झूठे सिक्के, झूठे सपने, ये था साइबर धोखाधड़ी का हाल!

एंटीवायरस लगा कर भी, ना रुका ये युद्ध,
घोटालेबाजों के पास हर तरह का तोड़-फोड़ का गूढ़ है।
नेट बैंकिंग के नाम पे, लोग बने बैठे थे उदासी,
फिर भी क्या करें, ऑनलाइन दुनिया में,
सब कुछ है अंदर से खास !

तो यारों, संभल के रहो अपने ऑनलाइन सफर में,
ना पढ़ो किसी धोखाधड़ी का शिकार, ना बनो किसी घोटाले का शहर में।
साइबरफ्रॉड का जादू है बड़ा, मगर हम भी हैं होशियार,
हंसी मजाक में भी, रखो अपना ऑनलाइन स्वच्छ और स्वस्थ आधार !

आवासीय परिसर... एक चिड़ियाघर...

विनोद कुमार मौर्य
वरिष्ठ अनुभाग अभियंता
(यांत्रिक विभाग)
मो. 7318060451

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के आवासीय परिसर में मंदिर, स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, पार्क और ऑडिटोरियम आदि है। कुछ आवश्यक काम को छोड़कर परिवार को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आवासीय परिसर और कारखाने को दो भागों में बाँटता है वह है नाला, जो कि एक नहर की तरह है और जिसमें नौका विहार की योजना भी बनाई गई थी। आवासीय परिसर में इस नहर के एक तरफ कर्मचारी और दूसरी तरफ़ ऑफिसर और GM रहते हैं, तथा कारखाने में एक तरफ कारखाना/शेड और दूसरी तरफ बड़ा यार्ड है। ऑफिसर कॉलोनी के अंतिम सीमा यानी सेंट्रल पार्क तक नाला पक्का और साफ-सुथरा है तथा इसके किनारे पार्क का रूप भी दिया गया है। इस पार्क में कुछ जानवरों का मॉडल (प्रतिरूप) बनाया गया है जैसे- जिराफ, जेब्रा, बारहसिंगा और हिरन आद। इस नाले के आसपास कुछ जीव-जंतु भी रहते हैं, जहाँ पर जानवरों के रहने और पीने के लिए पानी मिल जाता है, यानी नाले का भी जैव विविधता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान इस आवासीय परिसर और कारखाने में है।

इस आवासीय परिसर में कुछ जंगली जानवर भी हैं। बंदर और लंगूर आपको इस परिसर में कहीं भी दिख जायेंगे। बंदर और लंगूर दोनों एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन बंदर और लंगूर का झुंड अलग-अलग होता है, एक साथ नहीं रहते।

सियार एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है।सामान्य तौर पर सियार इंसानों पर हमला नहीं करते। सियार झुंड में रहते हैं, जो रात में सियार चिल्लाते हैं वह वास्तव में सियार का अपने झुंड के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करने का तरीका है।इंसानों से डरने के कारण इनको गीदड़ भी कहते हैं। सियार कारखाने के यार्ड में, स्टॉफ वेलफेयर सेंटर के आगे-पीछे, टाइप-5 के पीछे आदि जगहों पर

दिख जाते हैं। विशेषकर शाम और रात के समय में अक्सर दो सियार एक साथ परिसर में कहीं भी दिखाई दे जाते हैं। TTH के पीछे, नाले के आसपास शाम या रात में सियार के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है।

साही जानवर के बाल मोटे, मजबूत और नुकीले भी होते हैं। इन बालों को कांटे भी कहते हैं। ये काँटे दुश्मनों से बचने में मदद करते हैं। इनकी आवाज सूअर की तरह घूरःघूर की ध्वनि के समान होती है। यह रात में नाले के आसपास, यार्ड में तथा बाउंड्री के आसपास की जगहों पर देखने को मिल जायेंगे।

नेवला आपको यार्ड में, टाइप-2 मंदिर के पीछे, नाले के पास आदि जगहों पर दिख जाएंगे। नेवले, चूहों और सांपों का पीछा करते हैं।

लोमड़ी और खरगोश नाले के आसपास, यार्ड में और हॉस्पिटल के सामने खाली मैदान आदि जगहों पर दिख जाते हैं।

गिलहरी और गिरगिट परिसर में कहीं भी दिख जाते हैं, विशेषकर वर्कर क्लब के पास आम के बगीचे में ये हमेशा दिख जाते हैं। इसी तरह से और भी जीव-जंतु आपको दिखाई दे जायेंगे।

सांप में, कोबरा, करैत, वाइपर आदि इस परिषर में देखने को मिल जाएंगे। वर्षा और गर्मी के मौसम में कोबरा और करैत आदि AC की हवा लेने के लिए किसी न किसी के घर में दिखाई दे जाते हैं। "मान न मान मैं तेरा मेहमान" वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। सांप नाले के आसपास, यार्ड में व सुपरवाजर क्लब के पीछे आदि जगहों पर विचरण करते हुए मिल जाएंगे।

अजगर विष रहित और नाग प्रजाति के होते हैं। ये छोटे जानवरों को निगल जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 20 फिट तक होती है। अजगर का निचला भाग पीले और भूरे धब्बों से युक्त हल्के धूसर रंग का होता है। यार्ड में ठंडी के मौसम में जमीन से बाहर निकलकर धूप का मज़ा लेते हैं, और RPF बैरक के पीछे नाले की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं।

रंग-बिरंगी तितलियां वर्कर क्लब के आसपास, गोल्फ क्लब के मैदानों में तथा नाले के समीप आदि जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। बच्चे इसको देखते ही पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और

मधुमक्खियाँ भी वर्कर क्लब के पास आम के पेड़ों में, टाइप-6 के पीछे और आधुनिकेश्वर मंदिर के प्रांगण आदि जगहों पर देखने को मिल जायेंगी।

अब पक्षियों पर कुछ नजर डालते हैं। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसके सिर पर मुकुट के समान बनी कलगी, रंग-बिरंगी इन्द्रधनुष सरीखे लंबे पंख, आँख के नीचे सफेद रंग और चमकीली लंबी गर्दन इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगाते हैं। वैसे तो परिसर में ये झुंड में या अकेले घूमते हुए कहीं भी देखे जाते हैं। टाइप-6 के पीछे और नाले के पास हर समय दिखाई देते हैं।

जल में निवास करने वाले जीव जैसे-मछली, मेंढक, जोंक, केकड़ा, पानी वाला सांप, बिच्छू, कछुआ और घोंघा आदि नाले में दिख जाते हैं।

सिविल विभाग की तरफ से समय-समय पर रोड के किनारे और आवास के आसपास झाड़ियों की कटाई और सफाई की जाती है, जिससे सड़क पार करते हुए जानवर, लोगों को आसानी से दिख जाए और गाड़ी को नियंत्रित कर सके और खुद को सुरक्षित रखें। जानवर "अनेकता में एकता" के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर दूसरे जानवर से लड़ते हुए नहीं देखा गया है।

जब आपके यहाँ कोई अतिथि आए और आप एक ही दिन में एक ही समय में आवासीय परिसर के सभी जानवरों को अपने अतिथि को दिखाना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे रोड का चुनाव करें जिसमें चहल-पहल कम हो यानी सुनसान। हमारे विचार से आप शाम या सुबह में 4-5 घंटे समय लेकर आवासीय परिसर के बाउंड्री के किनारे वाले रोड को चुनें और पैदल ही चले और लगे हाथ नाले के किनारे वाले रोड पर भी घूमें, इससे लगभग सभी जानवर और पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। तब आपका अतिथि घूम लेने के बाद आपके कमरे में आकर सोफा या कुर्सी पर बैठते ही, हाथ में पानी का गिलास पकड़ते हुए, यही कहेगा......

“वास्तव में... आवासीय परिसर... एक चिड़ियाघर... से कम नहीं है।”

देवेन्द्र कुमार अवस्थी

सहा. कारखाना प्रबंधक

(सेवानिवृत्त)

मो. 7318060433

रक्षाबंधन

लड़कपन में दिखाते थे भरे हाथों को राखी से,
होती थी ख़ुशी जिसका भरा हो हाथ राखी से।
हमारे हैं बहन कितनी बोलती हाथ की राखी,
सजाकर हाथ हफ़्तों तक रखा करते थे राखी से॥ 1॥

आजकल तो महज औपचारिकता है यह उत्सव,
मनाना है, सभी केवल मनाते हैं यहाँ यह उत्सव।
बहन लाई है मीठा क्या, है राखी की भी कीमत क्या ?
उसी अनुपात में उपहार देने का रह गया उत्सव॥ 2॥

लिए हाथों में बंदूके डटे हैं देश की सीमा पर,
सोचिये भाई हैं वह भी किसी प्यारी-सी बहना के।
लगाकर जान की बाजी बचाते देश की गरिमा,
हमें उनकी भी बहनों को समझना समकक्ष बहना के॥ 3॥

न सोचो है ये केवल पर्व रक्षा-सूत्र बंधन का,
न सोचो है ये केवल, बहन-भाई के अभिनन्दन का।
असल में है कि हम यहाँ पर यह शपथ ले लें,
करें रक्षा सभी बहनों की जैसे करते हैं निज धन का॥ 4॥

सौरभ सचान
टीसीएम-I
(सिग.एवं दूरसंचार)
मो. 9026043793

अज्ञेयवाद
(ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं)

अक्सर ईश्वर के विषय में सवाल उठते रहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं।

यदि मान लें कि ईश्वर नहीं है तो कई सवाल उठते हैं। जैसे कि इस सृष्टि का इतना सफलतापूर्वक संचालन कैसे हो रहा है जैसे प्रकृति के नियम स्वतः कैसे संचालित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला जिसमें हिरण का आहार घास है, और हिरण शेर के लिए आहार है। जो मानव की शारीरिक संरचना है उसमें गले से 2 मुख्य नलियां हैं एक श्वास नली, एक भोजन नली, जिसमें भोजन करते समय श्वास नली बंद होती है तथा भोजन केवल भोजन नली के माध्यम से ही पेट में चला जाता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर मानव शरीर का इतना सुव्यवस्थित सिस्टम किसने बनाया, क्योंकि स्वयं मनुष्य नें नहीं बनाया तो किसने बनाया ?

अब यदि मान लें कि ईश्वर है ... तो पहला सवाल है कि वह साकार है या निराकार है।
दूसरा सवाल है कि यदि ईश्वर है तो वह बुद्धिमान, समझदार एवं तार्किक होगा न कि मूर्ख।
अब यदि ईश्वर तार्किक है तो वह किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कर्मों के आधार पर ही करेगा। अब यदि देखा जाये तो दुनिया में कई ऐसे उदाहरण है कि कई व्यक्ति किसी की हत्या कर, या किसी की सम्पत्ति लूटकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग लगातार ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है।

इसी तरह अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक तीन दिन की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश के बाद निर्मम हत्या कर दी गयी। अब सवाल यह उठता है कि उस तीन दिन की बच्ची ने ऐसा क्या बुरा कर्म किया।
ये घटनाएं कहीं न कहीं ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कुछ कहने हेतु निश्चयात्मक राय संभव नहीं है, और जिसके विषय में निश्चयात्मक राय संभव न हो वही अज्ञेयवाद है।

"पढ़ते रहिये, बढ़ते रहिये,
अधिकारों हेतु लड़ते रहिये।"

अरविन्द कुमार
निरीक्षक/ रे0सु0ब0
आरेडिका/रायबरेली
मो. 7318060907

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(FIR: First Information Report)

किसी (आपराधिक) घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्यवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी अथवा 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (FIR) कहा जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफ.आई.आर.(First Information Report या FIR) एक लिखित प्रपत्र (डॉक्युमेन्ट) है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। यह सूचना प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है। FIR पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है, जिसमें अपराध की सूचना वर्णित होती है I सामान्यतः पुलिस द्वारा अपराध संबंधी अनुसंधान (investigation) प्रारम्भ करने से पूर्व उसके द्वारा उठाया गया यह पहला अनिवार्य कदम है।

भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। किन्तु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ता है।

आप पुलिस के पास किसी भी प्रकार के अपराध के संबंध में जा सकते हैं। अति-आवश्यक एवं गंभीर मामलों में पुलिस को FIR तुरन्त दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ करना अनिवार्य है। अपराध की सूचना को लिपिबद्ध करने का कार्य पुलिस करती है। प्रावधान है कि टेलीफोन से प्राप्त सूचना को भी एफ.आई.आर. की तरह समझा जा सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 154 के तहत एफ.आई.आर. की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह वह महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर पुलिस अनुसंधान के माध्यम से कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। एफ.आई.आर. संज्ञेय अपराध होने पर दर्ज की जाती है। संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है, कि वह

आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच-पड़ताल करे, जबकि अपराध संज्ञेय नहीं है, तो बिना कोर्ट की इजाज़त के पुलिस द्वारा कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।

हालांकि पुलिस की नजर में दी गयी जानकारी में अगर जांच-पड़ताल के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता है, तो वह कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं है। इस स्थिति में उसे कार्रवाई न करने की वजह को लॉग बुक में दर्ज करना होता है, जिसकी जानकारी भी सामने वाले व्यक्ति को देनी होती है। पुलिस अधिकारी अपनी तरफ़ से इस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं जोड़ सकता। शिकायत करने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उस रिपोर्ट को उसे पढ़ कर सुनाया जाये और उसकी एक कॉपी उसे दी जाये। इस पर शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर कराना भी अनिवार्य है। अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से इन्कार करता है, तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर या डाक द्वारा उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए।

अक्सर FIR दर्ज करते वक़्त आगे की कार्यवाही को सरल बनाने हेतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि घटनास्थल से संलग्न थाने में ही इसकी शिकायत दर्ज हो। परन्तु कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब पीड़ित को विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में किसी बाहरी पुलिस थाने में केस दर्ज करने की जरुरत पड़ जाती हैं। मगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस वाले अपनी सीमा से बाहर हुई किसी घटना के बारे में उतने गंभीर नहीं दिखाई देते। ज्ञात हो कि FIR आपका अधिकार है एवं आपके प्रति हो रही असमानताओं का ब्यौरा भी, अतः सरकार ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जनता के अधिकारों को बचाए रखने हेतु शून्य एफ.आई.आर.(ZERO FIR) का प्रावधान बनाया है। इसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपराध के सन्दर्भ में अविलम्ब कार्यवाही हेतु किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, एवं बाद में केस को अग्रिम कार्यवाही हेतु घटना स्थल वाले पुलिस थाने में ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं के विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए-

- ❖ अगर संज्ञेय अपराध है, तो थानाध्यक्ष को तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। एफ.आई.आर. की एक प्रति प्राप्त करना शिकायतकर्ता का अधिकार है।
- ❖ एफ.आई.आर. दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता, न ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है।
- ❖ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो।

- कई बार पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि होना यह चाहिए कि पहले एफ.आई.आर. दर्ज हो और फिर जांच-पड़ताल।
- घटना स्थल पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफ.आई.आर. की कॉपी नहीं ले पाते हैं, तो पुलिस आपको एफ.आई.आर. की कॉपी डाक से भेजेगी।
- आपकी एफ.आई.आर. पर क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी।
- अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना करता है, तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को दे सकता है, जिस पर उपायुक्त उचित कार्रवाई कर सकता है।
- एफ.आई.आर. न लिखे जाने की हालत में आप अपने एरिया मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा-निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पिटिशन दायर कर सकते हैं, कि 24 घंटे के अंदर केस दर्ज कर एफ.आई.आर. की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
- अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है।
- अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ, तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकता है, और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके बाद तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कर वह उसे संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ-साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाएगी।
- अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता है, और पूछताछ के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती है, तो भी वह तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर देगी। अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाना क्षेत्र में घटी, तो केस उस थाने को स्थानान्तरित (ट्रान्सफर) हो जाएगा।
- अगर एफ.आई.आर. कराने वाले व्यक्ति की मामले की जांच-पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है, तो इस एफ.आई.आर. को मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration) की तरह न्यायालय में पेश किया जा सकता है।

- ❖ **अगर शिकायत में किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो उसे रोजनामचे में दर्ज करना जरूरी है। इसकी भी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मैजिस्ट्रेट से सी.आर.पी.सी. की धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है।**

<u>संज्ञेय अपराध:-</u> संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिनके लिए पुलिस बिना वारंट या न्यायालय की पूर्व अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय अपराध के उदाहरण- हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी, आपराधिक विश्वासघात।

<u>असंज्ञेय अपराध:-</u> असंज्ञेय अपराध वे अपराध हैं, जिनमें पुलिस बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। प्रावधान- दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 2 (सी)।

असंज्ञेय अपराध के उदाहरण- हमला, धोखाधड़ी, जालसाजी, न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य देना, गर्भपात कराना- धारा 312, स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।

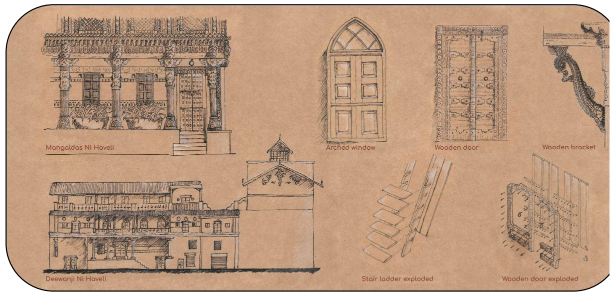

भारती
अध्यक्षा MCFWWO

हवेली बोलती

पीढ़ी दर पीढ़ी दफन राज खोलती,
हवेली बोलती जवानी का कभी दौर होगा,
शोर मचाती,कहकहो से गूंजती हवेली होगी,

कई दीवारे होंगी, दिवारों में भी कितने छेद होंगे
बंटते दिवारों की विरानगी की कथा होगी,
हवेली की जुबानी होगी

संबंधों के दरम्यान बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी होंगी,
प्रेम का दरिया बहा होगा,
आसुओं का सैलाब उमड़ा होगा,
खट्ट-मीठे यादों की बारात होगी,
बचपन से बुढ़ापा तक का सफर होगा,
बोलते रिश्तों की जुबानी होगी,

पीढ़ियों की कहानी होगी,
हवेली की सीढ़ियों पर पैरों के निशान होंगे,
दरदरे दीवारों पर हथेलियों का छाप आज भी होगा,

हवाओं के साथ,घटाओं के साथ हवेली,
अपने पीढ़ियों के आवाज को मिलाया होगा,
आकाश में चमकते सप्तऋषि तारों को साक्षी बनाया होगा,
उत्तराधिकारियों के जीवन के सारांश को, झुर्रियों से ढका
हवेली.......अपनें भीतर छुपाया होगा।

अशोक कुमार
वरिष्ठ लिपिक
जनसंपर्क अनुभाग
मो. 8218713755

आरेडिका का प्रशान्ति परिसर

राष्ट्रीय राजमार्ग-24, जो रायबरेली को कानपुर से जोड़ता है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायबरेली जिला मुख्यालय से लगभग 28 कि.मी. कानपुर की ओर चलने पर लालगंज तहसील का ऐहार गाँव पड़ता है। ऐहार गाँव से गुजरते ही सड़क के दोनों ओर रेल कोच की लम्बी-लम्बी दीवारें एवं पेड़ों की कतारें राहगीरों के साथ-साथ दौड़ने लगती हैं। वहीं रात में अचनाक सड़क के दोनों ओर सफेद प्रकाश की दूधिया रोशनी को देख कर लोग इधर-उधर झाँकने लगते हैं तथा दीवारों पर लगे बोर्डों एवं बैनरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और सहसा उनके मुहँ से एक शब्द निकलता है, "आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली"। यह राष्ट्रीय राजमार्ग इस कारखाने को दो भागों में विभाजित करता है, सड़क के दाएँ किनारे पर प्रशान्ति परिसर और बाएँ किनारे पर कारखाना परिसर है।

प्रशान्ति परिसर में आने-जाने के लिए ऊँचे-ऊँचे भव्य प्रवेश द्वार बने हैं। द्वारों के पास खाकी और काले रंग की वर्दी में चौबीस घण्टे सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, जो आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखते हैं। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही लाल, गुलाबी फूलों से लदी

बोगनवेलिया की लताएँ हवा के मंद-मंद झोकों से अपने फूलों की पंखुड़ियों को सड़क पर इस प्रकार बिखेर देती हैं, मानो किसी ने आगन्तुकों के स्वागत के लिए राह पर फूल बिखेर दिए हों, बड़ा ही मनोरम दृश्य आँखों के सामने चित्रित होता है।

थोड़ा आगे चल कर विशाल रथ के चक्के के आकार का गोल चक्र बना हुआ है, इसे सेण्ट्रल पार्क के नाम से जाना जाता है।

सेण्ट्रल पार्क को आकर्षक बनाने के लिए चारों ओर मखमली घास की हरियाली और ताड़ वृक्षों की कतारों से सजाया गया है। पार्क के चारों कोनों पर चार सुन्दर फव्वारे रंग-बिरंगे विद्युत प्रकाश से पानी की फुहारें रंगीन होकर कल-कल ध्वनि के साथ नीचे गिरती हैं। पार्क में मंदगति से बजता संगीत कर्णपल्ल्वों से टकराता है तो एक अद्भुत छटा का निर्माण होता है और मन एक क्षण के लिए सब प्रकार के तनावों से मुक्त होकर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगता है। सुबह-शाम रेलकर्मी और उनके परिवार इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। सेण्ट्रल पार्क के चारों ओर सड़कें अलग-अलग दिशाओं में बट जाती हैं। रेलकर्मियों के लिए विभिन्न प्रकार के सुविधा भवनों जैसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज, सौलर प्लाण्ट, प्रेक्षागृह, हॉस्पिटल, विश्रामगृह, रेलवे हेरीटेज पार्क, छात्रावास, मंदिर, आरपीएफ बैरक एवं विभिन्न प्रकार के रेलवे आवास अवस्थित हैं। ये सभी नाम एक शब्द में समाहित हो जाते हैं वह है, प्रशान्ति परिसर।

मातृ दिवस पर माँ को समर्पित (मेरी माँ)

भावना
मुख्य कार्यालय अधीक्षक
परियोजना
मो. 7405854559

रोती हूँ तो हँसा देती है मेरी माँ,

घर को स्वर्ग बना देती है माँ।

नींद नहीं आती है मुझे तो सुला देती है माँ,

खुद भूखी रहकर मेरा पेट भरती है माँ।

शून्य से शिखर तक साथ देती है माँ,

प्रारम्भ से आखिरी साँस तक साथ देती है माँ।

जिन्दगी के सफर में जितनी भी मुसीबतें आयी मुझ पर,

उन सबका हल निकाल देती है मेरी माँ।

हर बार संजीवनी बनकर हर मुश्किल का हल निकाल देती है माँ,

जब भी दर्द में होती हूँ सबसे पहले मुहँ से पहला शब्द निकलता है
माँ, माँ, माँ और बस माँ।

हर दुःख तेरे आँचल के तले सो कर गायब हो जाते हैं मेरी माँ,

कुटुम्ब सूक्ष्म हो या दीर्घ तू हर हाल में सम्भाल ही लेती है माँ।

बिना रुके पूरा दिन हमारे लिए काम करती है मेरी माँ,

रिश्तों की अहमियत और उनकी कद्र करना सिखाती है माँ।

बिना किसी स्वार्थ हर हाल में प्यार करती है माँ,

तेज धूप में मुझे शीतल छाया देती है मेरी माँ।

चाहे खुद थकी हो पर कभी एहसास नहीं होने देती है माँ,

अपने हाथों के स्पर्श से हमारी सारी थकान मिटा देती है मेरी माँ।

क्या कहूँ ऐ तेरे बारे में आपको शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है।

मेरी माँ... तेरा प्यार हमारे लिये इस दुनिया का सबसे सुगंधित इत्र है।

भावना की ओर से हर माँ को वन्दन है..

अशोक कुमार गुप्ता
सहा. आँकड़ा संसाधन
प्रबंधक (आई.टी.)
मो. 7405854559

सुमिरन

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, सुमिरन कैसे करु मैं,भगवन,

मेरा भटक रहा है, तन मन, मेरा भटक रहा है, तन मन,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन।....

दिल की, आस बंधी है, तुमसे,   मन की बात बनेगी, तुमसे,

अपने चरण ..शरण दो भगवन,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

छाया, घोर अँधेरा, अब तो, सूझे, राह न कोई, हमको,

मैंने सब कुछ किया है, अर्पण,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

मुझमें, तड़प रही, अभिलाषा, पूरी, कर दे, मेरी आशा

अपना जीवन किया समर्पण,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

तेरे, चरणों में, शीश झुकाये, तुझपे, पूजा के, फूल चढ़ाये

नित, नाम जपु मैं, हरदम,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

भव..सागर, पार, लगा दो, घना, अन्धकार ,मिटा दो,

तेरा, स्मरण करु मैं, हरदम,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

सारे, भेद..भाव, मिटा दो, बस, इंसानियत, जगा दो,

देखू, रूप तेरा मैं, कण कण,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

सुख, शांति का, जोत, जगा दो, मैं हुँ, मेरा क्या है बता दो,

अब, कैसे करु मैं, चिंतन,

सुमिरन कैसे करु मैं, भगवन, मेरा भटक रहा है तन मन।....

शाबरा बेगम
आशुलिपिक
अभियांत्रिकी
मो. 9910479686

स्वास्थ्य – शक्ति का आभूषण

ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत न केवल शारीरिक कौशल से बल्कि मन और आत्मा के लचीलेपन से भी मापी जाती है, वहाँ एक महान व्यक्ति मौजूद है, जिसे केवल स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की शक्तियों से सुशोभित, लोकों में घूमता है, सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है।

अनुशासन की आग में तपी मांसपेशियों और दोधारी तलवार की तरह तेज़ दिमाग के साथ, स्वास्थ्य बीमारी और निराशा की काली छाया के खिलाफ एक अजेय शक्ति के रूप में खड़ा है। एक ही नज़र से, बीमारियाँ कांपने लगती हैं और बीमारियाँ डर कर डर जाती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य परम शक्ति - कल्याण की शक्ति - का उपयोग करता है।

साहस और दृढ़ संकल्प की एक महाकाव्य कहानी में, स्वास्थ्य गतिहीन जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आदतों की ताकतों के खिलाफ लड़ता है जो दुनिया को अंधेरे में डुबाने का खतरा पैदा करती हैं। प्रत्येक कदम के साथ, स्वास्थ्य व्यायाम, पोषण और मानसिक दृढ़ता का सुसमाचार फैलाता है, कमजोरों को सशक्त बनाता है और थके हुए लोगों को अपनी सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन स्वास्थ्य की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। अंधेरी ताकतें छाया में छिपी रहती हैं, जो स्वास्थ्य की नींव को कमजोर करना चाहती हैं और संदेह और निराशा के बीज बोना चाहती हैं। फिर भी, अटूट दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना के साथ, स्वास्थ्य हर बाधा का डटकर सामना करता है और बार-बार विजयी होता है।

जैसे-जैसे स्वास्थ्य की कथा बढ़ती है, वैसे-वैसे कल्याण की शक्ति में विश्वास भी बढ़ता है। दुनिया के कोने-कोने से लोग इस असाधारण प्राणी के विस्मयकारी कारनामों को देखने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की अपनी खोज में मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करते हैं।

अंत में, स्वास्थ्य शक्ति, लचीलेपन और आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अंधेरे के बीच एक चमकता हुआ गहना, स्वास्थ्य की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी, अनगिनत आत्माओं को कल्याण की शक्ति को अपनाने और पूरी तरह से जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी।

जब स्वास्थ्य का छायाचित्र उज्ज्वल सूर्योदय की पृष्ठभूमि में खड़ा है, जो अंधेरे से घिरी दुनिया में आशा की किरण है, तो फीका पड़ जाता है।*

चंदा सिंह
निरीक्षक/ रे0सु0ब0
आरेडिका/रायबरेली
मो. 7318060910

डिजिटल गिरफ्तारी

'डिजिटल गिरफ्तारी' साइबर अपराध का ही एक प्रकार है। यह साइबर अपराधियों द्वारा भोले-भाले व्यक्तियों को धोखा देने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अभिनव रणनीति है। इस साइबर अपराध पद्धति में अपराधी का काम करने का तरीका यह है कि वह खुद को पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपने टार्गेट को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि उसने कुछ बहुत ही गंभीर अपराध किया है।

साइबर जालसाज अपने टार्गेट व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर धोखा देते हैं कि उसे 'डिजिटल गिरफ्तारी' के तहत रखा गया है, यदि वह एक बड़ी रकम का भुगतान नहीं करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। साइबर अपराध विशेषज्ञों के अनुसार धोखेबाज इस रणनीति में पीड़ितों के खिलाफ भय और त्वरित अति-आवश्यकता की भावना का उपयोग कर रहे होते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपना पैसा उन्हें हस्तांतरित करने से पहले स्वयं को घोटाले का आरोपी मानें।

साइबर अपराधी अक्सर भोले-भाले पीड़ितों को आत्म-गिरफ्तारी या खुद को संगरोध (quarantine) करने के लिए मजबूर करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें 'डिजिटल गिरफ्तारी' के तहत रखा गया है, और जब तक वे भुगतान नहीं करते, वे अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं।

डिजिटल अरेस्ट का अभी हाल का एक ताजा मामला नोएडा से जुड़ा है। इसमें साइबर जालसाजों ने भारतीय रेलवे के एक सेवानिवृत्त जनरल मेनेजर को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रख कर

52.50 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर जालसाजों ने उन्हे ताइवान भेजे गए एक पार्सल में ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम से संबंध और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर, इस वारदात को अन्जाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अलर्ट

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की साइबर शाखा I4C ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में वृद्धि के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट जारी किया है।

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार गृह मंत्रालय ने सचेत किया है कि अपराधी ईडी, सीबीआई और आरबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने इन मामलों के संबंध में 1,000 से अधिक स्काइप (Skype) आईडी को ब्लॉक कर दिया है और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए सैकड़ों सिम कार्ड को ब्लॉक करने की प्रक्रिया में है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में, गृह मंत्रालय की I4C विंग में फर्जी सीबीआई अधिकारी, ईडी और एनसीबी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) साइबर विंग को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है, साथ ही गृह मंत्रालय की साइबर शाखा इस खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करने और रोकने के लिए आरबीआई सहित अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

साइबर अपराधी पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए उनके प्रियजनों और परिवार के सदस्यों की आवाज की नकल करके उन्हें डराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

साइबर विंग ने साइबर अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करने और साइबर अपराध के नए तरीकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साइबर अपराध घटित होने की स्थिति मे पीड़ित को तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर तथा गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल पर भी तुरंत सूचना दर्ज करना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि संबंधित एजेंसियाँ तुरंत हरकत में आ सके।

DoT द्वारा जारी एडवाइजरी

दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नागरिकों को एक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से फर्जी फोन कॉल में शामिल न होने का आग्रह किया गया है। DoT ने नोट किया कि धोखेबाज अक्सर पीड़ित के मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट करने की

धमकी देते हैं या दावा करते हैं कि नंबर का दुरुपयोग किसी अवैध गतिविधि में किया जा रहा है और इस प्रकार पीड़ित (victim) को जबरन वसूली का शिकार बनाते हैं।

DoT ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों (जैसे +92-xxxxxxxxxx) से सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके लोगों को ठगने वाले व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी सलाह जारी की है।

अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बदलती तकनीक और परिस्थितियों के मद्देनज़र स्वयं को सदैव जागरूक एवं सतर्क रखें तथा साइबर दुनिया (cyber world) में सक्रिय ठगों एवं अन्य प्रकार के अपराधियों से अपनी स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों एवं जान -पहचान वालों की भी सुरक्षा करें।

महेश प्रसाद शर्मा
वरि. अनुभाग अभियंता
एम & पी
मो. 9369602870

अंतरात्मा की आवाज और ध्यान

हर मनुष्य के अन्दर एक शांत मनुष्य रहता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है और इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं। सभी महान लोगों ने यह स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज है, और यह बात किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। खुश रहने का सीधा-सा तरीका यह होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है।

हम जब कभी भी कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमें कुछ अजीब-सा लगता है, मानो कोई हमें यह कह रहा हो कि वह बुरा काम मत करो। यह हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुःख पहुँचाने से रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज इतनी मजबूत नहीं होती क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो चुका होता है।

जैसे-जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती। जैसे-जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है

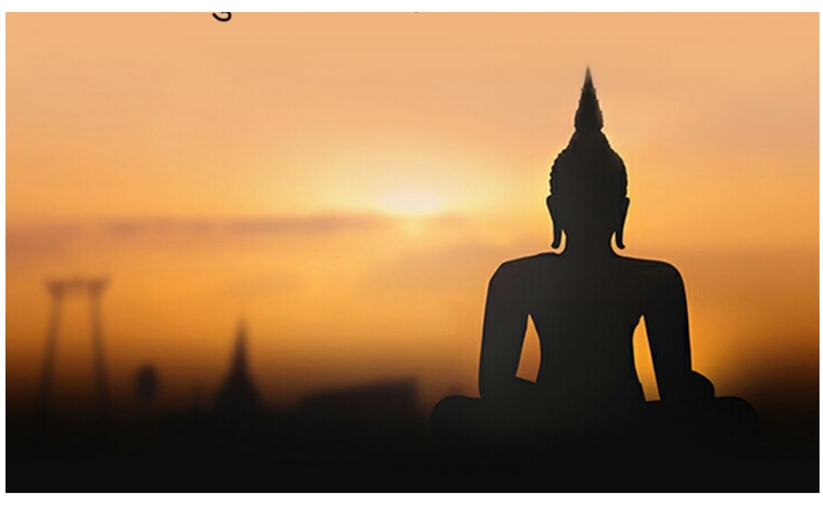

वैसे-वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे "तनाव" हमारा हमसफ़र बन जाता है और ऐसी

परिस्थिति में हमें स्वयं को वापस अपनी अंतरात्मा के साथ जोड़ना होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका 'ध्यान' है।

जैसे-जैसे हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना बंद होती है वैसे-वैसे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और हम सही गलत को पहचान नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम खुद को नियंत्रित नहीं करते बल्कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं। हम वो करने लगते हैं जो आलस्य, डर, तनाव, लालच, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या हमसे करवाते हैं।

ध्यान खुद पर नियंत्रण रखने की एक पद्धति है, जो हमारी जिंदगी को आसान एवं खुशमय बनाता है। ध्यान से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हमारा समस्याओं के प्रति नजरिया बदल जाता है। हम समस्याओं को रचनात्मक तरीकों से बड़ी आसानी से हल कर पाते हैं जिससे तनाव कम होता है।

सभी महान लोगों ने यह माना है कि हमारी अंतरात्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है। हम भी कभी-कभी महसूस करते हैं कि शायद हमारी अंतरात्मा में एक ईश्वरीय अंश है या फिर हमारी अंतरात्मा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है तभी तो वो हर परिस्थिति में सही होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है – इसलिए ईश्वर से जुड़ने से पहले हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होता है या यूं कहें कि जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो उस अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से स्वत: ही जुड़ जाते हैं, और ध्यान हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। लगातार रोज ध्यान करने पर हमें अद्भुत अनुभव होने लगते हैं जिसे शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता। हमें उन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जो अभी तक अनसुलझे थे। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ एक शक्ति है जो हमेशा हमारी मदद करेगी।

मन को शांत करने के लिए प्रयास करने की नहीं बल्कि प्रयास छोड़ने की जरूरत होती है, और यही ध्यान का उद्देश्य होता है। ध्यान मन की एक सहज अवस्था है जिससे हमारे भीतर का खालीपन दूर होता है। यह हमारी जिंदगी को बदल देता है, जिससे हम भौतिक वस्तुओं में खुशियाँ ढूँढना छोड़कर खुश रहना सीख जाते हैं। हमारे जीवन का हर पल खुशनुमा हो जाता है और हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं।

मो0 प्रवेज
निजी सचिव
अभिकल्प
मो. 8863898470

शहादत

वो शहीदों हमारे नजर में रहे।
चैन से जो कभी भी न घर में रहे।।
वो शहीदों हमारे नजर में रहे।
चैन से जो कभी भी न घर में रहे।।

घर की टूटी छतों की उन्हें क्या खबर ..!
जिंदगी भर वो अक्सर सफर में रहें॥
चैन से जो कभी भी न घर में रहे।
वे शहीदों हमारे नजर में रहे.... ॥

एक मुद्दत से बिछड़े हुए हो मगर।
वो हमेशा हमारे नजर में रहे।
चैन से जो कभी भी न घर में रहे।।
वे शहीदों हमारे नजर में रहे.... ॥

बूढ़ी माँओ की आशा लगी थी मगर.....
उनकी गोदें और गलियॉ सूना कर गए
नन्हें बच्चों की यादों की वो दास्तॉ.....
टुट के सब खिलौने बिखर सा गए।

कितनी बेवा हुई ऐसी अर्धांगनी
जिनके सिंदूर से होली खेली गयी।
घर की आँगन में बुलबुल सी छोटी बहन.......
ख्वाब ही रह गया उसका बनना दुल्हन।

हर सज्जन का था आंसू से भींगा नयन....
जब तिरंगे में लिपटा तुम्हारा बदन
वो शहीदों हमारे नजर में रहे.......
चैन से जो कभी भी न घर में रहे।।

मोहम्मद अकरम
क. हिंदी अनुवादक
(राजभाषा)
मो. 9795861899

अनुवाद और उसके विविध प्रकार

<u>अनुवादः</u>

- **संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दुहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया है।**
- **संस्कृत के 'वद्' धातु से 'अनुवाद' शब्द का निर्माण हुआ है। 'वद्' का अर्थ है बोलना।**
- **'वद्' धातु में 'अ' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद' जिसका अर्थ है- 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'।**
- **'वाद' में 'अनु' उपसर्ग उपसर्ग जोड़कर 'अनुवाद' शब्द बना है, जिसका अर्थ है, प्राप्त कथन को पुनः कहना।**
- **इसका प्रयोग पहली बार मोनियर विलियम्स ने अँग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन (translation) के पर्याय के रूप में किया। इसके बाद ही 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया।**

<u>अनुवाद की परिभाषा सिद्धांतकारों के अनुसारः</u>

- **ए.एच.स्मिथ के अनुसार अनुवाद का तात्पर्य अर्थ को यथासंभव बन्नए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण से है।**
- **डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतिकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम (कथनत: और कथ्यत:) समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रति प्रतीकन है।**

- डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार एक भाषा (स्रोत भाषा) की पाठ सामग्री में अंतर्निहीत तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा (लक्ष्य भाषा) में रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन को अनुवाद कहा जाता है।

लिप्यन्तरण (TRANSCRIPTION)

अँग्रेजी में TRANSLATION के साथ ही TRANSCRIPTION का प्रचलन भी है, जिसे हिन्दी में 'लिप्यन्तरण' कहा जाता है। अनुवाद और लिप्यन्तरण का अन्तर इस उदाहरण से स्पष्ट है-

मोहन खेल रहा है।

MOHAN IS PLAYING - अनुवाद

MOHAN KHEL RAHA HAI - लिप्यन्तरण (TRANSCRIPTION)

अनुवाद एवं इंटरप्रेटर

- अनुवाद एक लिखित विधा है, जिसे करने के लिए कई साधनों की जरूरत पड़ती है। शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ, विषय विशेषज्ञ या मार्गदर्शक की मदद से अनुवाद के कार्य को पूरा किया जाता है।
- इंटरप्रेटेशन यानी भाषांतरण एक भाषा का दूसरी भाषा में मौखिक रूपांतरण होता है। इसे करने वाला इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर का काम तत्कालिक है। वह किसी भाषा को सुनकर, समझ कर दूसरी भाषा में तुरंत उसका मौखिक तौर पर रूपांतरण करता है। इसे मूल भाषा के साथ मौखिक तौर पर आधा मिनट पीछे रहते हुए किया जाता है। यह बहुत कुछ यत्रवत होता है।

स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा

- स्त्रोत भाषा वह है जिस भाषा में मूल कृति लिखी गई है। लक्ष्य भाषा वह है जिसमें कृति को अनुवादित किया जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में लिखे गए 'रामायण' को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। यहां रामायण की पहली भाषा संस्कृत 'स्त्रोत भाषा' है तथा बाद की भाषा अंग्रेजी 'लक्ष्य भाषा' है।

अनुवाद के प्रकारः

प्रकार	परिभाषा	विवरण/उदाहरण
शब्दानुवाद	स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में यथावत अनुवाद	Please enclose a list of officers कृपया अधिकारियों की एक सूची संलग्न करें।
भावानुवाद	भाव को केंद्र में रखकर किया जाने वाला अनुवाद (प्रायः मुहावरे व लोकोक्तियों का अनुवाद)	It was raining cats and dogs. बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी।
छायानुवाद	मूल रचना की छाया के अनुसार एक नई रचना का सृजन किया जाता है।	भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने मर्चेन्ट ऑफ वेनिस का रूपांतरण इसी का अनुसरण कर किया था जिसमें पात्रों, स्थानो आदि के नाम का भारतीयकरण किया गया।
सारानुवाद	केवल सार का अनुवाद किया जाता है।	पाठ के सार को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते समय ध्यान रखना होता है कि मुख्य बिंदु छूटने ना पाए।
आशु अनुवाद	जब दो वक्ता एक दूसरे से बात कर रहे हो परन्तु उन्हे एक दूसरे की भाषा न आती हो।	इसे इंटरप्रेटर भी कहा जाता है जिन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है।
टीकानुवाद	किसी ग्रंथ विशेष की उसी या अन्य भाषा में टीका या भाष्य लिखा जाता है।	सरलतम रूप में रखा जाता है ताकि साधारण पाठक भी पाठ का मर्म प्राप्त कर सके।
अनु सृजन	साहित्य के अनुवाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।	अनुवादक अनुवाद करते समय इतना डूब जाते हैं कि अनुवाद के पश्चात एक नयी कृति सामने आती है।
लिप्यंकन	लिपि का अंकन किया जाता है।	स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार लक्ष्य भाषा के लिपि चिह्न निर्धारित किये जाते हैं। प्रायः टेपरिकार्डर में रिकार्ड भाषण आदि का लिप्यंकन किया जाता है।

प्रोफेसर रॉबर्ट एम. ग्रांट द्वारा कथित वाक्य पर इंकार नही किया जा सकता कि "पूरी तरह से अंतिम अनुवाद कभी नहीं हो सकता।" अर्थात भाषा के कई आयाम होना स्वाभाविक है।

भारती

अध्यक्षा MCFWWO

भोला मन...

जब हम छोटे बच्चे थे।
कितने, प्यारे सच्चे थे।।
जैसे-जैसे बढ़ते हम ।
धुंधला होता मेरा मन।।

ईश्वर ने सबको दिया।
एक जैसा सच्चा मन।।
सच्चे मन से खेल-खेल कर।
मन को कर दिए धुंधला हम।।

एक ही आंगन एक ही घर।
हम सबका था अपना घर।।
अपने धुंधले मन के कारण।
अपना-अपना सब का घर।।

अपने लक्ष्मण रेखा को लांधकर।
कब बाहर आ गये हम।।
अपने धुंधले मन के कारण।
खुद ही बंट गये हैं हम।।

साथ डगर पर चलते-चलते।
अलग राह बनाते हम।।
भुले-बिसरे मीठे यादों के।
सुनहरे पल भूलाते हम।।

बंटते-बंटते भुल गये हम।
कितने प्यारे सच्चे थे।।
भोले मन से खेल-खेल कर।
धुंधला कर लिए अपना मन।।

दैनिक कार्यालयी उपयोग में आने वाली संक्षिप्त टिप्पणियाँ

Accepted provisionally	अनंतिम रुप से स्वीकृत
Ad hoc	तदर्थ
Advise the action taken	की गई कार्रवाई से अवगत करायें
Agenda is sent herewith	कार्यसूची साथ भेजी जा रही है
Agenda will follow	कार्यसूची बाद में भेजी जाएगी
As Modified	यथा संशोधित
Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान किया जाए
Approved	अनुमोदित
All concerned to note	सर्वसंबंधित नोट करें
Benefit of doubt	संदेह लाभ
Bill is outstanding	बिल बकाया है
Certified copy	प्रमाणित प्रति
Necessary action awaited.	आवश्यक कार्रवाई प्रतीक्षित/की प्रतीक्षा है
Need no comments.	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं
Please discuss.	कृपया चर्चा करें/चर्चा कीजिए
Please expedite compliance.	कृपया शीघ्र अनुपालन कीजिए
Status quo	यथा पूर्व स्थिति
Sanctioned if due.	यदि देय हो तो मंजूर किया जाता है

Estimated cost	अनुमानित खर्च
Error is regretted.	त्रुटि /भूल/गलती के लिए खेद है
Give effect to.	कार्यान्वित करें
Grant in aid	सहायता अनुदान
Henceforth	आगे से
Ibid	एक ही स्थान पर
In lieu of	के बदले
Inform accordingly.	तदनुसार सूचित करें
May be obtained.	प्राप्त किया जाए
Copy is enclosed for ready reference.	सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है
Must be rigidly adhered to	कड़ाई के साथ पालन किया जाए/जाना चाहिए
Mutatis Mutandis	यथोचित परिवर्तन के साथ
Please overleaf.	कृपया पिछला पृष्ठ देखें
Put up for perusal please.	अवलोकनार्थ प्रस्तुत है
Qualifying service.	अर्हकारी सेवा
Noted please.	नोट कर लिया
Retrospective effect	पूर्व प्रभावी
Sanctioned as proposed.	प्रस्ताव के अनुसार मंजूर (यथाप्रस्ताव संस्वीकृत)

आरेडिका की झलकियाँ

गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 पर चर्चा करते हुए अधिकारीगण

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्काउट एवं गाइड द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

आरेडिका की झलकियाँ

आरेडिका में वैब गोष्ठी एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन

स्वतंत्र भारत संवाददाता, लालगंज (रायबरेली)। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के राजभाषा विभाग की ओर से हिंदी कार्यशाला के तहत भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी के तत्वाधान में संसदीय समिति की संशोधित निरीक्षण प्रश्नावली विषय पर वैब गोष्ठी के आयोजन में सहभागिता की गई। वैब गोष्ठी में वक्ता डा० बरुण कुमार, निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव ने संसदीय समिति की संशोधित निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा एवं व्यवहार परक बनाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। कार्यशाला में समस्त विभागो से हिंदी केंद्रक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन सहायक सामग्री प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी राजेश कुमार ने किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,रायबरेली
Town Official Language Committee,Raebareli
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt.of India

सन्योजक / Convener

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली
Regional Office,Raebareli

प्रमाण पत्र

नराकास, रायबरेली के तत्वावधान में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फ़िरोज़ गाँधी ऊँचाहार थर्मल पावर स्टेशन, रायबरेली द्वारा

दिनाँक 17.05.2024 राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में

श्री सौरभ सचान, टीसीएम

(रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली)

को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर हार्दिक शुभकामनाओं सहित प्रदत्त।
हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है।

(शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, नराकास, रायबरेली

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की छमाही बैठक में आरेडिका ने की सहभागिता

रायबरेली। (स्पष्ट आवाज) नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति (नराकास) की छमाही बैठक बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली में सम्पन्न हुई, जिसमें आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्रालय से छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद उपस्थित रहे। जिन्होंने राजभाषा क्रियान्वयन की समीक्षा पर विस्तृत चर्चा की।

इसी के साथ ही नराकास, रायबरेली के तत्वाधान में एन.टी.पी.सी. ऊंचाहार, रायबरेली द्वारा आयोजित राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के प्रतिभागी सौरव सचान को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैठक में आरेडिका, रायबरेली के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव, उप मुख्य वित्त सलाहकार एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी डॉ. सत्य व्रत एवं सहायक सामग्री प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

देवकीनंदन खत्री

जन्म :
18 जून, 1861

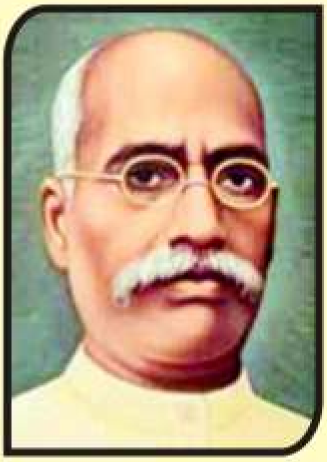

निवार्ण :
01 अगस्त, 1913

देवकीनंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 (आषाढ़ कृष्णपक्ष सप्तमी संवत् 1918) शनिवार को बिहार के समस्तीपुर जिले के मालीनगर में हुआ था। वे हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंत्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र-मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। 'भूतनाथ' को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब के रसास्वादन के लिए कई गैर-हिंदीभाषियों ने हिंदी सीखी। बाबू देवकीनंदन खत्री ने 'तिलिस्म', 'ऐय्यार' और 'ऐय्यारी' जैसे शब्दों को हिंदीभाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जितने हिन्दी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किये उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं।

संरक्षक	प्रमुख सम्पादक	प्रधान सम्पादक	सम्पादक
श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	श्री रूपेश श्रीवास्तव	डॉ. सत्य व्रत	श्री राजेश कुमार
महाप्रबन्धक	मुख्य राजभाषा अधिकारी	उप मुख्य राजभाषा अधिकारी	राजभाषा अधिकारी